ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और हरमिंदर सिंह मदान, जे. जे. के समक्ष

अक्षिता सिंह - अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2022 का एल. पी. ए. No.140

18 फरवरी, 2022

भारत का संविधान, 1950-कला। 226 और 227-पत्र पेटेंट अपील-स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विनियम, 1997-एम. बी. बी. एस. की 3 वीं व्यावसायिक (भाग 2) पूरक परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध, सामान्य शल्य चिकित्सा ए और बी और प्रसूति और स्त्री रोग ए और बी की जुलाई 2021-अनुग्रह अंक प्रदान करना-याचिकाकर्ता द्वारा वहन की जाने वाली लागत के साथ विशेष मामले के रूप में व्यवहार-रिट कोर्ट का आदेश बरकरार-विश्वविद्यालय एक छात्र को अपने विवेक से अधिकतम 5 अंक दे सकता है जो केवल एक विषय में विफल रहा है और अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ है-इस मामले में, अपीलकर्ता 2 विषयों में विफल रहा है-इसलिए अनुग्रह अंकों के लिए पात्र नहीं है-साथ ही विश्वविद्यालय के अध्यादेश में एम. बी. बी. एस., बी. डी. एस. और एम. डी. एस. परीक्षाएँ के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एल. पी. ए. खारिज

माना जाता है कि, उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि विश्वविद्यालय एक ऐसे छात्र को अपने विवेक से अधिकतम 5 अंक दे सकता है जो केवल एक विषय में असफल रहा है और अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ है, जिसका अर्थ है कि एक को छोड़कर सभी विषयों में उत्तीर्ण होना एक छात्र के अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए पात्रता की पूर्व शर्त है और वह भी केवल एक विषय में अधिकतम 5 अंकों तक।

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.) (पैरा 11)

आगे कहा कि, उपरोक्त के आलोक में, चूंकि अपीलकर्ता दो विषयों में विफल रही है, इसलिए वह स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर एमसीआई विनियम, 1997 के अनुसार अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए पात्र नहीं है, जो केवल एक विषय में अधिकतम 5 अंक प्रदान करने में सक्षम बनाता है और वह भी, यदि छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ है। खंड 5.38.1 के अनुसार भी विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार, अपीलकर्ता को कुल अंकों का 1प्रतिशत दिया जा सकता है जो फिर से एक विषय में अधिकतम 5 अंकों के अधीन है। चूंकि जनरल सर्जरी ए एंड बी पेपर में, अपीलकर्ता 10 अंकों से कम है और प्रसूति और स्त्री रोग में, वह 15 अंकों (4 सिद्धांत, 11 व्यावहारिक) से कम है, इसलिए वह किसी भी पेपर में अर्हता प्राप्त नहीं करती है। गुण-दोष के आधार पर, इसलिए अनुग्रह अंक देने के लिए अपीलकर्ता का दावा उपयुक्त नहीं है।

(पैरा 14)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि एक स्वतंत्र परीक्षक द्वारा जाँच कराकर अपने दो पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपीलकर्ता के दावे के संबंध में, उक्त दावे को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं की पुनःजाँच/पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान से संबंधित विश्वविद्यालय का अध्यादेश उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि यह विशेष रूप से नकारात्मक में बताता है। अध्यादेश 5.18 इस प्रकार हैः-

" 5.18 उत्तर पुस्तिकाओं की पुनःजाँच/पुनर्मूल्यांकन

5.18.4 निम्नलिखित के संबंध में कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगाः

(क) एम. बी. बी. एस. और एम. एससी. (चिकित्सा)/डिप्लोमा परीक्षाएँ।

(ख) बी. डी. एस. और एम. डी. एस. परीक्षाएँ।

(ग) बी. पी. टी., एम. पी. टी., बी. एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जी. एन. एम. और कोई अन्य मेडिकल/डेंटल स्ट्रीम जब तक कि संबंधित नियामक निकायों के विनियमन द्वारा साबित न हो।

(घ) प्रयोगशाला/व्यावहारिक परीक्षा, मौखिक/सत्रीय, सत्रीय, प्रबंध शोध-निबंद/मूल्यांकन और परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन आदि।''

(पैरा 15)

आगे कहा कि उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि जहां तक एमबीबीएस, बीडीएस और एम. डी. एस. परीक्षाओं का संबंध है, पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। यहां यह बताया जा सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद) के विनियमों में एमबीबीएस कार्यक्रम के लिए पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, उक्त अनुरोध/दावा अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुनः जाँच के संबंध में, अपीलकर्ता के उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था लेकिन अंकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(पैरा 16)

आशीष अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ

राजीव कुमार सैनी, अधिवक्ता और

आशना अग्रवाल, अधिवक्ता,

अपीलकर्ता के लिए।

ऑगुस्टिन जॉर्ज मसीह, जे।

(1) इस अपील को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.02.2022 के फैसले को चुनौती देने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा दायर

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

रिट याचिका में कुलपति, श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशतक विश्वविद्यालय (जिसे इसके बाद "SGT विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 01.12.2021 (अनुलग्नक P-11) के परमादेश को चुनौती दी गई है, जो अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा 2021 के CWP संख्या 21724 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.10.2021 (अनुलग्नक P-10) के अनुपालन में कुलपति से अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लंबित दिनांकित अभ्यावेदन 13.10.2021 (अनुलग्नक P-9) पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है।

(2) उक्त रिट याचिका, विचार के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.02.2022 के विवादित फैसले के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई नीति नहीं है और इसलिए, उपरोक्त दो विषयों में अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की प्रार्थना यानी एमबीबीएस-तीसरी व्यावसायिक (भाग-II) पूरक परीक्षा, जुलाई 2021 की सामान्य सर्जरी ए और बी और प्रसूति और स्त्री रोग ए और बी, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी-याचिकाकर्ता की यह प्रार्थना कि विश्वविद्यालय के कुलपति को पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की शक्ति है, यदि कोई गलती उनके संज्ञान में लाई जाती है, जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि गलती, जिसे रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से पेश करने की मांग की गई है, ऐसा नहीं है और उत्तर के मूल्यांकन का मुद्दा और केवल एक विषय विशेषज्ञ ही ऐसा करने के लिए सक्षम है ताकि वह अक्षिता सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के बारे में निष्कर्ष पर आ सके।

क्या अभिलेख में कोई स्पष्ट गलती है या नहीं और इसलिए कुलपति ने उक्त प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

(3) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने एस. जी. टी. विश्वविद्यालय में सत्र 2013-14 के लिए एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया

था। उन्होंने योग्यता प्राप्त की और अपने एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल को अच्छे अंकों के साथ पास किया। तीसरी व्यावसायिक भाग-II परीक्षा में, वह उपस्थित हुई लेकिन सामान्य शल्य चिकित्सा पेपर ए और बी और प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान पेपर ए और बी के साथ-साथ व्यावहारिक पेपर में भी असफल रही। अपीलकर्ता ने उपर्युक्त दो विषयों में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के लिए आवेदन किया, जिसका परिणाम "कोई परिवर्तन नहीं" के रूप में दिखाया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने तीसरी व्यावसायिक भाग-II पूरक परीक्षा में भाग लिया, लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुआ और असफल घोषित किया गया। यह इस स्तर पर है कि अपीलकर्ता ने प्रसूति और स्त्री रोग ए और बी विषयों में विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार 5 अनुग्रह अंक देने के लिए प्रतिवादी को दिनांक 13.10.2021 (अनुलग्नक पी-9) प्रस्तुत किया क्योंकि वह केवल 4 अंकों से कम थी।

(4) जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अपीलकर्ता ने 2021 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 21724 दायर कर उक्त अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए एक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया, जिसकी अनुमति दी गई थी और प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के कुलपति को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह से अधिक समय तक शीघ्रता से और किसी भी मामले में निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 01.12.2021 (अनुलग्नक पी-11) के आदेश के अनुसार, उनके प्रतिनिधित्व और उसमें किए गए दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विनियमों के अनुसार, एमबीबीएस कार्यक्रम के लिए पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और इस कारण से भी कि अपीलकर्ता दो विषयों में विफल रहा था और जब कोई छात्र केवल एक पेपर में विफल हो जाता है तो अनुग्रह अंक दिए जा सकते हैं। इसके बाद, उपरोक्त दो विषयों में एम. बी. बी. एस.-तीसरी व्यावसायिक (भाग-II) पूरक परीक्षा, जुलाई 2021 में अपीलकर्ता की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की व्यवस्था के लिए दिनांक 14.12.2021 (अनुलग्नक पी-12) का अभ्यावेदन किया गया था और साथ ही एस. जी. टी. विश्वविद्यालय के अलावा

किसी अन्य स्वतंत्र विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय के परीक्षक द्वारा व्यावहारिक पत्र की भी अपीलकर्ता द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर जांच की गई थी।

(5) जब कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, तो अपीलकर्ता ने 2021 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 26812 दायर किया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2022 (अनुलग्नक पी-13) के आदेश के माध्यम से निपटाया गया था, जिसमें कुलपति को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जो दावा भी उसी आधार पर अस्वीकार किया गया जैसा कि पहले दिनांकित 18.01.2022 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश में उल्लेख किया गया था।

(6) इन तथ्यात्मक दावों पर, अपीलकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इन तथ्यों पर जोर दिया है प्रतिवादी की कार्रवाई मनमाना, अनुचित और अन्यायपूर्ण है जब अपीलकर्ता ने केवल अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध किया है। अपीलकर्ता लागत वहन करने के लिए तैयार था और इसलिए, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय पर कोई बोझ नहीं पड़ता।

(7) एक अन्य पहलू, जिसे सेवा में लगाया गया है, वह यह है कि शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख की ओर से दुर्भावना थी क्योंकि अपीलकर्ता ने, जब उसकी उपस्थिति गलत तरीके से कम दिखाई गई थी, तो अक्टूबर, 2019 में विश्वविद्यालय के डीन को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे अपीलकर्ता की उपस्थिति ठीक हो गई थी। उस समय से, शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख की उनके खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी थी। इसी तरह, प्रसूति और स्त्री रोग की प्रोफेसर बिंदु यादव के खिलाफ, अपीलकर्ता द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी क्योंकि वह अपमानित थी और उसके व्यक्तित्व पर ताना मारा गया था।

(8) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्रों को गलत तरीके से पीड़ित किया जा रहा है और उनका शोषण करने के लिए किसी न किसी बहाने से परेशान किया जा रहा है। किसी भी मामले में, उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि

यह एक उपयुक्त मामला है जहां न्यायालय को विवादित परमादेशों को दरकिनार करने और जैसा कि अनुरोध किया गया है, अनिवार्य परमादेश जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए।

(9) हमने अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है, लेकिन हम उक्त दलीलों से सहमत नहीं हैं क्योंकि एम. बी. बी. एस. की शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ-साथ परीक्षाएं और अनुग्रह अंक प्रदान करने आदि सहित उनका संचालन विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होता है, जो एक स्वीकृत पद है। विश्वविद्यालय का अध्यादेश, जो अनुग्रह अंकों के पुरस्कार से संबंधित है, 5.38. 1है। जो इस प्रकार हैः-

" 5.38 ग्रेस मार्क्स का पुरस्कार

5.38.1 अन्यथा जब तक कि किसी अन्य अध्यादेश में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, उम्मीदवारों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए अनुग्रह अंक नीचे दिए गए हद तक और तरीके से दिए जा सकते हैं:

(ए) एक उम्मीदवार जो एक या अधिक पेपर (ओं)/विषय (ओं) (लिखित, व्यावहारिक, सत्र/आंतरिक मूल्यांकन या वाइवा-वॉस) और/या कुल में विफल रहता है, उसे अनुग्रह अंक दिया जाएगा यदि इन अंकों को जोड़कर वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है या कम्पार्टमेंट में रखा जा सकता है या छूट प्राप्त कर सकता है, तो परीक्षा के पेपर (ओं)/विषय (ओं) के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक (आंतरिक मूल्यांकन/सत्र (ओं) के लिए अंकों को छोड़कर), हालाँकि, यदि ऐसा उम्मीदवार, D.M.C./ विश्वविद्यालय से यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे अनुग्रह चिह्न दिए गए हैं, उसे दिए गए अनुग्रह चिह्नों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा और उसका परिणाम संशोधित किया जाएगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। ग्रेस मार्क्स को वापस लेने के लिए उम्मीदवार का अनुरोध विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत-अंक-कार्ड/प्रमाण पत्र भेजने के एक महीने के भीतर परीक्षा नियंत्रक तक पहुंचना चाहिए, जिसके बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(बी) हालांकि, एमबीबीएस और बीडीएस के संबंध में, छात्र संबंधित परीक्षा के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंकों का हकदार होगा, बशर्ते कि किसी भी विषय/पेपर में किसी को भी 5 से अधिक अनुग्रह अंक नहीं दिए जाएंगे। "प्राप्त नहीं किए गए अनुग्रह अंकों को संबंधित कक्षा की बाद की परीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाएगा"।

(10) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि अध्यादेश 5.38.1 का खंड (बी) एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों से संबंधित है। इस खंड के अनुसार, एक छात्र संबंधित परीक्षा के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंकों का हकदार है। इसका प्रावधान यह है कि किसी भी छात्र को किसी विषय/पेपर में 5 से अधिक अनुग्रह अंक नहीं दिए जाएंगे। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद) विनियम, 1997, जिन्हें अधिसूचित किया गया है, अनुग्रह अंकों के पुरस्कार से संबंधित हैं।क्रम संख्या 13 (10) में, यह इस प्रकार हैः-

"अधिकतम पाँच अंकों तक के अनुग्रह अंक विश्वविद्यालय के विवेक पर उस छात्र को दिए जा सकते हैं जो केवल एक विषय में असफल रहा है लेकिन अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ है।"

(11) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि विश्वविद्यालय एक ऐसे छात्र को अपने विवेकानुसार अधिकतम 5 अंक प्रदान कर सकता है जो केवल एक विषय में असफल रहा है और अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ है, जिसका अर्थ है कि एक को छोड़कर सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए एक छात्र की पात्रता के लिए एक शर्त है और वह भी केवल एक विषय में अधिकतम 5 अंकों तक।

(12) अध्यादेश 5.38.1 'जब तक कि किसी अन्य अध्यादेश में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो' शब्दों से शुरू होता है और उसके बाद, अनुग्रह चिह्नों के अनुदान से संबंधित होता है।

अध्यादेश 5.38.1 का खंड (ख) इसलिए, अनुग्रह चिह्नों के अनुदान की बात आने पर इसके अधीन हो जाएगा और छोड़ देगा।

(13) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए शीर्ष नियामक निकाय है, द्वारा जारी विनियमों के अनुसार, क्रम संख्या 13 (10) में उक्त विनियम, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, लागू होगा, जिसका अर्थ है कि अपीलकर्ता को कुल मिलाकर केवल 5 अंक दिए जा सकते हैं और वह भी एक विषय में, बशर्ते कि उसने अन्य विषयों को भी पास कर लिया हो।दुर्भाग्य से, वह दो विषयों अर्थात् सामान्य शल्य चिकित्सा ए और बी और प्रसूति और स्त्री रोग ए और बी में विफल रही है। दिनांकित 01.12.2021 (अनुलग्नक पी-11) आदेश पारित करते समय, विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक सारणीबद्ध रूप में, उन दोनों विषयों के परिणाम का उल्लेख किया है जिनमें अपीलकर्ता विफल रहे थे, जो इस प्रकार हैः-

क्रम संख्या	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	अंक सुरक्षित किए गए	उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अंक
1	01010401	जनरल सर्जरी ए एंड बी	170 (सिद्धांत)	75	10
2	01010410	प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान ए और बी	130 (सिद्धांत) 70 (व्यावहारिक)	61 24	15 (04+11)

(14) उपरोक्त के आलोक में, चूंकि अपीलकर्ता दो विषयों में विफल रही है, इसलिए वह स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर एमसीआई विनियम, 1997 के अनुसार अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए पात्र नहीं है, जो केवल एक विषय में

अधिकतम 5 अंक देने में सक्षम बनाता है और वह भी, यदि छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ है।खंड 5.38 के अनुसार भी।1 विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार, अपीलकर्ता को कुल अंकों का 1 प्रतिशत दिया जा सकता है जो फिर से एक विषय में अधिकतम 5 अंकों के अधीन है।चूंकि जनरल सर्जरी ए एंड बी पेपर में, अपीलकर्ता 10 अंकों से कम है और प्रसूति और स्त्री

रोग में, वह 15 अंकों (4 सिद्धांत, 11 व्यावहारिक) से कम है, इसलिए वह किसी भी पेपर में अर्हता प्राप्त नहीं करती है।गुण-दोष के आधार पर, इसलिए, अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता का दावा उपयुक्त नहीं है।

(15) जहाँ तक अपीलकर्ता के दो पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के दावे का संबंध है, जिसमें उनकी जाँच एक स्वतंत्र परीक्षक, उक्त दावे को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान से संबंधित विश्वविद्यालय के अध्यादेश में इसके पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से नकारात्मक में कहता है। अध्यादेश 5.18 इस प्रकार हैः-

" 5.18 उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाँच/पुनर्मूल्यांकन

5.18.4 निम्नलिखित के संबंध में कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगाः

(क) एम. बी. बी. एस. और एम. एससी. (चिकित्सा)/डिप्लोमा परीक्षाएँ।(ख) बी. डी. एस. और एम. डी. एस. परीक्षाएँ।

(ग) बी. पी. टी., एम. पी. टी., बी. एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जी. एन. एम. और कोई अन्य मेडिकल/डेंटल स्ट्रीम जब तक कि संबंधित नियामक निकायों के विनियमन द्वारा साबित न हो।

(घ) प्रयोगशाला/व्यावहारिक परीक्षा, मौखिक/सत्रीय, शोध प्रबंध/शोध प्रबंध मूल्यांकन और परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन आदि।"

(16) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि जहां तक एमबीबीएस, बीडीएस और एम. डी. एस. परीक्षाओं का संबंध है, पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।यहां यह बताया जा सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

(पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद) के विनियमों में एमबीबीएस कार्यक्रम के लिए पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।इसलिए, उक्त अनुरोध/दावा अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है।पुनः जाँच के संबंध में, अपीलकर्ता के उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था लेकिन अंकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(17) जहाँ तक शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख और प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के एक प्रोफेसर के खिलाफ कथित दुर्भावनापूर्ण दावे का संबंध है, पहला, वे दोनों रिट याचिका या अपील के पक्षकार नहीं हैं और दूसरा, जिस सामग्री के आधार पर यह आरोप लगाया गया है, वह ऐसी स्थिति को नहीं दर्शाता है।अतः उक्त आधार बिना किसी आधार के है।

(18) प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय की कार्रवाई की याचिका मनमाना होने के कारण इस पर कोई आधार नहीं है क्योंकि दावा, जो अपीलकर्ता द्वारा किया गया है, वैधानिक प्रावधानों पर निर्भर है, जो इस मामले में विश्वविद्यालय का अध्यादेश और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद) के विनियम होंगे, जो, जैसा कि ऊपर पाया गया है, अपीलकर्ता के दावे का समर्थन करें।

(19) उपरोक्त के आलोक में, हम अपीलकर्ता द्वारा उसी को खारिज करने वाली रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 09.02.2022 द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।

(20) योग्यता से रहित होने के कारण अपील खारिज कर दी जाती है।

पायल मेहता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Vijay kumar - translator